


नया व
Main

3/9/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
वकील प्रार्थी ने प्रकरण में रिदायत
पैरवी नहीं होने से प्रकरण को आगे
नहीं चलाने का बत निवेदन किया। उत्तर:
प्रकरण में वकील प्रार्थी के निवेदन अनुसार
रिदायत पैरवी नहीं होने से प्रार्थना-पत्र
बाबत उद्घाज दुखस्ती इसी स्तर पर
प्रारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल
शुमार होकर नंबर से कम होवे।


उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा